राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
***वित्त भवन,"ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर*-302005**
(दूरभाष **0141-2740837**, फैक्स **0141-2742309**, ईमेल**jacct.dta@rajasthan.gov.in**)

क्रमांकः-प.(ई)निप/(लिंक नंबर–10356/2013)/अलेसे–II/461 दिनांकः-25-04-2025

आख्यात्मक आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर में दायर अपील संख्या 166/2025 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2025 के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि श्री प्रकाश कटारा, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय वर्तमान में पंचायत समिति, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा, राजस्थान में कार्यरत है, विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की पालना में श्री कटारा द्वारा नव पदस्थापन कार्यालय उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं बांसवाड़ा में आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है। श्री कटारा द्वारा राजकीय आदेशों की जान बूझकर अवहेलना की गई है। जो कि राज्य हित में उचित नहीं है।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 02(ए) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के लिए नियोक्ता अधिकारी है तथा स्थानान्तरण की सम्पूर्ण शक्तियां निहित है। अपीलार्थी श्री कटारा का स्थानान्तरण प्रशासनिक ठोस आधारों पर राज्य हित में लगभग 02 वर्ष 04 महीने के उपरांत बांसवाड़ा जिले में ही मुख्यालय बांसवाड़ा में किया गया है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार श्री कटारा का सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में किसी भी अन्यत्र विभाग में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उक्त विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में भी याचिका सं. 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई है जिसमें दिनांक 28.01.2025 को पारित निर्णय इस प्रकार है– "The writ petitions are thus disposed of with liberty to the competent authority to carry out the aforesaid needful exercise within a period of 30 days with effect from the date of receipt of web-print of this order and pass fresh orders, wherever warranted, keeping in mind the observations made here in above."

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण पीठ जोधपुर द्वारा अपील संख्या 166/2025 में निम्न निर्देश प्रदान किये गये है– **"विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशानिर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में आगामी 04 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।"**

अतः उक्त निर्देशो की रोशनी में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह भलीभांति स्पष्ट है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 246/2024–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रार्थी श्री प्रकाश कटारा का किया गया स्थानान्तरण राज्य हित में बिना किसी पूर्वाग्रह के आधार पर किया गया है। अतः प्रार्थी श्री प्रकाश कटारा का अभ्यावेदन इस आदेश के साथ निर्णित किया जाता है कि श्री प्रकाश कटारा अविलम्ब कार्यालय आदेश संख्या 246/2024–25 दिनांक 15.01.2025 की पालना सुनिश्चित करते हुए अपनी उपस्थिति उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं बांसवाड़ा में देवे।

यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका सं. 1775/2025 देवेन्द्र चौधरी बनाम राजस्थान राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः-प.(ई)निप / (लिंक नंबर–10356 / 2013) / अलेसे–II / 461 दिनांकः– 25-04-2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।
2. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, बासवाड़ा।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक **(एसीपी)** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री प्रकाश कटारा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II कार्यालय पंचायत समिति कुशलगढ़ जिला बांसवाडा।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)